फर्द अहकाम

न्यायालय

ओमप्रकाश बनाम रामलाल

मुकदमा संख्या / वर्ष 90 / 2024 : / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/3/24	वकील वादी ने वाद पत्र पेश किया। वाद कारण व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विपक्षी संख्या 1 तलब प्रतिवादीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 5/4/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	मोबाइल 13874329 28/3/24
	5/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित व प्रतिवादी सं० 1 व 3 से न की ओर से अधिवक्ता श्री दीनदयाल जाट ने वकालतनामा मय जवाब धारा 9 व 11 CPC पेश किया वादी अधिवक्ता ने डाक रसीद मय प्रेषित दिखाई किया की सूचीकृत फाईलों की पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रारम्भ होकर दिनांक 12/4/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	रामलाल पारीक 5/4/24 पारीक 5/4/24
	12/4/24	पत्रावली पेश है। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित व प्रतिवादी सं० 2 व 3 इनके उपर उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने वाद पत्र के विरुद्ध प्रतिवादी सं० 1 का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के वाद स्वरूप किया जाता है पत्रावली पोस्ट सुनवाई दिनांक को सुनवाई हेतु समक्ष दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2024.07.23 10:35:51 IST Reason: SelfAttested